



2026:AHC:50986

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या -1008 वर्ष 2026

जीत बहादुर

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: राम मिलन मिश्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

कोर्ट नंबर - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"1. मेंडमस की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी), जौनपुर को यह आदेश दिया जाए कि वे यूपी.सीएच.अधिनियम की धारा 11(1) के तहत अपील संख्या 1145/2024-25 (जीत बहादुर और अन्य बनाम कलावती देवी और अन्य) ग्राम पिलकिछा, परगना-अंगुली, तहसील-शाहगंज, जिला-जौनपुर का निर्णय निर्धारित समय सीमा के भीतर करें।"

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि उपर्युक्त मामले को शीघ्रता से निपटाने का निर्देश जारी किया जाता है।

4. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, इस मामले को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। अतः, इस न्यायालय को उचित प्रतीत होता है कि वर्तमान रिट याचिका को, याचिका में उठाए गए विषयों के गुणों पर कोई टिप्पणी किए बिना, अन्तिम रूप से निपटाया जाए, और प्रतिवादी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 2 को निर्देश दिया जाए कि वह उक्त मामले का निर्णय कानून के अनुसार, तर्कसंगत और विस्तृत आदेश के माध्यम से करे, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, तथा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना, यथासंभव शीघ्र, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से **आठ माह** के भीतर करे।

5. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम रूप से **निपटारा** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,)

12 मार्च, 2026

वीकेजी

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।